131

कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान) करियप्पा मार्ग, लखनऊ -226002

Office of the Principal Controller of Defence Accounts (CC)Cariappa Road, Lucknow Cantt.-226002

विषय : रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान) लखनऊ कार्यालय की दिनांक 20.09.2018 को संपन्न राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त ।

****

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (म.क.) लखनऊ कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही बैठक दिनांक 20.09.2018 को रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक श्री मोहिन्दर सिंह, भा.र.ले.से. की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

क्रम	अधिकारियों के नाम	पद
1	श्री राजेश चन्द्रा , भा.र.ले.से., अपर नियंत्रक	सदस्य
2	श्री प्रीतम दत्ता, भा.र.ले.से., उप नियंत्रक	सदस्य
3	श्री ताबिश शम्स, भा.र.ले.से., उप नियंत्रक	सदस्य
4	श्री के. के. उन्नीकृष्णन्न, व.ले. अ.	सदस्य
5	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, व.ले. अ.	सदस्य
6	श्री शत्रुहन सिंह, व.ले. अ.	सदस्य
7	श्री संजय कुमार गुप्ता, व.ले. अ.	सदस्य
8	श्री उमेश कुमार, व.ले. अ.	सदस्य
9	श्री राजीव कुमार, व.ले. अ.	सदस्य
10	श्री संजय तिग्गा, व.ले. अ.	सदस्य – सचिव
11	श्री आर.एस.पी. श्रीवास्तव, व.ले. अ.	सदस्य
12	श्री आर.एस.पी. श्रीवास्तव, व.ले. अ.	सदस्य
13	श्री विनय कृष्ण श्रीवास्तव, .ले.अधि.	सदस्य
14	मो. युसूफ, ले.अधि.	सदस्य
15	श्री राजीव कुमार, व.अनुवादक	सदस्य
16	श्रीमती गुंजन चौरसिया, व.ले.प.	सदस्य

बैठक में निम्नलिखित विचार–विमर्श हुआः-

मद संख्या-01. पिछली तिमाही की बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई :

बिन्दु. (1). तिमाही / मासिक प्रगति रिपोर्टों की समीक्षाः राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित प्राप्त होने वाले तिमाही / मासिक प्रगति रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की जा रही है एवं संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

बिन्दु. (2). हिन्दी पत्राचार की प्रतिशतता में कमीः ऐसे सभी अधीनस्थ कार्यालयों में जहाँ हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत लक्ष्य से बहुत कम है तथा जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती गई है , उनके वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर.) में राजभाषा के प्रति उनकी उदासीनता संबंधी तथ्य को दर्ज किए जाने हेतु समिति के निर्णय से, संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत कराया जा चुका है ।

बिन्दु. (3). कार्यालय की गृह पत्रिका ' लेखा भारती' के अगले संस्करण का प्रकाशनः कार्यालय की गृह पत्रिका ' लेखा भारती' के अगले संस्करण के प्रकाशन हेतु जुलाई 2018 में पाँचवा परिपत्र जारी किया गया परन्तु पहले से प्राप्त रचनाओं (14) की संख्या में वृद्धि नहीं हुई । लिहाजा पर्याप्त रचनाएँ प्राप्त होने पर ही पत्रिका प्रकाशित की जाएगी ।

बिन्दु. (4) आवेदन पत्र / रिपोर्टों के अग्रेषण पत्र हिन्दी में प्रस्तुत / जारी करनाः समिति के निर्णयानुसार सभी अधीनस्थ कार्यालयों एवं मुख्य कार्यालय के समस्त अनुभागों को आवेदन पत्र / रिपोर्टों के अग्रेषण पत्र अनिवार्य रूप से हिन्दी में प्रस्तुत / जारी किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

मद संख्या -02. पिछली तिमाही के रिपोर्टों की तुलनात्मक समीक्षा :

बैठक में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यालय की पिछली दो तिमाही 03/2018 एवं 06/2018 के रिपोर्टों की तुलनात्मक समीक्षा की गई जिसमें यह पाया गया की तिमाही 03/2018 की तुलना में तिमाही 06/2018 में 'क' एवं 'ग' क्षेत्रों से हुए हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता में कमी आयी है। इस पर संबंधित अनुभागों के लेखाधिकारी / वरि. लेखाधिकारियों ने समिति को आश्वस्त किया कि हिन्दी पत्राचार में आई कमी को वर्तमान तिमाही में ही पूरा कर लिया जाएगा और भविष्य में गिरावट न हो यह सुनिश्चत किया जाएगा।

मद संख्या – 03. कार्यालय में हिंदी पदों की स्थिति :

वर्तमान में हमारे संगठन में राजभाषा संवर्ग के पदों की स्थिति इस प्रकार है :

पद	स्वीकृत	भरे गए	रिक्त
सहायक निदेशक (राजभाषा)	01	00	01
वरिष्ठ अनुवादक	00	01*	00
कनिष्ठ अनुवादक	02	00	02

* कनिष्ठ अनुवादक के पद के सापेक्ष 01 वरिष्ठ अनुवादक तैनात है।

सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं कनिष्ठ अनुवादक की तैनाती हेतु मुख्यालय को क्रमशः दिनांक 25.07.2018 एवं 05.09.2018 को पत्र लिखा गया ।

मद संख्या-04. संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति के निर्देशानुसार वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों के सापेक्ष कार्यालय की वास्तविक स्थिति एवं की जाने वाली कार्रवाई का निर्धारण :

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति द्वारा दिनांक 08.09.2018 को इस कार्यालय का निरीक्षण किया गया तथा कई **'ध्यान देने योग्य बातों'** पर सुधार हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में प्रधान नियंत्रक को सम्बोधित समिति का अर्धशासकीय पत्र सं. 11012/04 /2018 - सामात -1 दिनांक 08.09.2018 भी प्रासंगिक है । संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति के निर्देशानुसार वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों के सापेक्ष कार्यालय की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया गया तथा **'ध्यान देने योग्य बातें '** पर विस्तार से चर्चा करते हुए शेष लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित निर्णय लिए गए जो इस प्रकार हैं:

(क) चूँकि जुलाई 2017 में जारी व्यक्तिशः आदेश द्वारा प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को कुछ चयनित विषयों के लिए ही शत प्रतिशत हिन्दी में कार्य करने का निर्देश दिया गया था अत: वर्ष 2018 हेतु नव नियुक्त / तैनात प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों / अधिकारियों को शामिल करते हुए समस्त कार्मिकों को पुनः नए प्रारूप में व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाएं। हिन्दी कक्ष द्वारा 12 अक्टूबर 2018 तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा ।

(कार्रवाई - हिन्दी कक्ष)

(ख) कार्यालय द्वारा प्रयुक्त सभी रजिस्टरों में समस्त प्रविष्टियाँ हिन्दी में की जाए । सभी सदस्यों ने इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए इस बात पर अपनी सहमति जताई।

(कार्रवाई – समस्त अनुभाग)

(ग) कार्यालय में "क" और "ख" क्षेत्रों से प्राप्त अँग्रेजी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाने तथा मूल पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु समिति ने निरंतर प्रयास करते रहने तथा एक बार प्राप्त लक्ष्य में कोई गिरावट नहीं आने देने का निर्देश दिया। निर्णय लिया गया कि इसका अनुपालन सभी अनुभागों के प्रभारी अधिकारी सुनिश्चत करेंगे, और हिन्दी कक्ष भी इस पर आवश्यक नजर रखेगा ।

(कार्रवाई – समस्त अनुभाग)

(घ) कंप्यूटर पर अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करवाए जाने हेतु प्रत्येक तिमाही में पूर्ववत हिन्दी कार्यशाला का नियमित आयोजन जारी रखते हुए यूनिकोड समर्थित कम्प्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाए। सचिव ने बताया कि इस पर कार्रवाई करते हुए कम्प्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण के लिए शेष बचे कार्मिकों को दिनांक 28.09.2018 को आयोजित होने वाली हिन्दी कार्यशाला में नामित कर दिया गया है।

(कार्रवाई - हिन्दी कक्ष)

(ङ) हिन्दी टाइपिंग न जानने वाले टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। इस कार्यालय में प्रशिक्षण हेतु शेष 8 लिपिकों में से 6 लिपिकों को हिन्दी शब्द संसाधन पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध ,केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण, राजभाषा विभाग , गृह मंत्रालय नई दिल्ली में प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया है जिसका उत्तर अभी प्रतीक्षित है। इसके लिए दिनांक 09.09.2018 को अनुस्मारक पत्र भी लिखा गया है । शेष 02 लिपिकों को भी आगामी सत्र के लिए प्रशिक्षण हेतु नामित किया किया जाएगा ।

(कार्रवाई - हिन्दी कक्ष)

(च) कार्यालय में रिक्त पड़े हिन्दी पदों को भरे जाने हेतु मुख्यालय को पुनः पत्र लिखा गया है।

(छ) कार्यालय द्वारा प्रयुक्त सभी सेवा अभिलेखों / सेवा पुस्तिकाओं में समस्त प्रविष्टियाँ हिन्दी में की जाए । प्रशासन -3 के प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और यथा आवश्यकता हिन्दी कक्ष सहयोग / मार्गदर्शन करेगा।

(कार्रवाई - प्रशासन -3)

(ज) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा हिन्दी में किए जा रहे कार्य की प्रतीशतता बढ़ाई जाए । सभी ने एकमत से इस बात पर अपनी सहमति जताई।

(कार्रवाई - समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण)

(झ) पूर्व में विनिर्दिष्ट अनुभागों के अतिरिक्त अधिक से अधिक अनुभागों का चयन कर अपना पूरा काम हिन्दी में करने के लिए शीघ्र ही विनिर्दिष्ट कर दिया जाए। हिन्दी कक्ष इस बारे में 11 अक्टूबर 2018 तक यह कार्य पूरा कर ले, ऐसा निर्णय लिया गया ।

(कार्रवाई - हिन्दी कक्ष)

(ञ) तिमाही के दौरान हिन्दी में लिखी गयी टिप्पणियां ही अधिकारियों द्वारा स्वीकृत की जाएं । सभी सदस्यों ने एकमत से इस बात पर अपनी सहमति जताई।

(कार्रवाई - समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण)

(ट) तिमाही के दौरान शत प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजे जाएं एवं पत्रों पर हस्ताक्षर हिन्दी में किए जाएं। सभी सदस्यों ने इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए इस बात पर अपनी सहमति जताई।

(कार्रवाई - समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण)

(ठ) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु प्रभावी कदम उठाते हुए एक विशेष निर्णय लिया गया कि सभी प्रभारी अधिकारी **क** , **ख** एवं **ग** क्षेत्रों के साथ लक्ष्यानुरूप हिन्दी पत्राचार किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए उन्हें विशेषकर अँग्रेजी में किए गए पत्राचार को अनवरत पुनरीक्षण (रिव्यू) करते रहना पड़ेगा ताकि उसे हिन्दी में करना शुरू किया जाए । इस हेतु वे इस निमित्त बनाए गए एक रजिस्टर में निर्धारित तालिका (टेबल) के अनुसार अंग्रेजी में किए गए पत्राचार की प्रविष्टियाँ करेंगे ताकि ऐसा करते हुए यह चेतना रहे कि ऐसा पत्राचार यथासंभव निवार्य था जिसके लिए भविष्य में तथ्यात्मक कार्रवाई की जा सके । उपर्युक्त रजिस्टर को साप्ताहिक रूप से (सोमवार / आगामी कार्यदिवस) को हिन्दी कक्ष के माध्यम से प्रधान नियंत्रक के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा । प्रधान नियंत्रक को प्रस्तुत करने से पहले संबंधित वर्गाधिकारी अपनी टिप्पणी करेंगे ।

(कार्रवाई – समस्त वर्गाधिकारी/ वरि. लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी)

मद संख्या-05. प्रधान नियंत्रक को संबोधित संसदीय राजभाषा समिति के अर्धशासकीय पत्र सं. 11012/04 /2018 - सामात -1 दिनांक 08.09.2018 पर चर्चा के बाद उसका यथेष्ट उत्तर शीघ्र देने के निर्देश समिति ने हिन्दी कक्ष के प्रभारी अधिकारी को दिये ।

(कार्रवाई - व.लेखाधिकारी (हिंदी))

व.लेखाधिकारी (हिंदी)